न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2020/00174 (Bank Case)
Manual no- 59/2020

एल.आई.सी. हाउसिंग फाईनेन्स लि. पंजीकृत कार्यालय सी–98, उपसना टॉवर, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, एरिया ऑफिस दुकान नं0 108–109, द्वितीय मंजिल, श्रीराम कॉम्पलेक्स, गुमानपुरा कोटा (राज0) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रदीप चतुर्वेदी

– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति शीलेष सक्सेना पत्नि श्री कैलाश नारायण सक्सेना, निवासी बी–31, (पूर्वी भाग) प्रगति नगर, देवली अरब, कोटा (राज0) **(ऋणी)**
2. आशीष सक्सेना निवासी बी–31, (पूर्वी भाग) प्रगति नगर, देवली अरब, कोटा (राज. **(सह–ऋणी व बंधनकर्ता)**
3. रूपेन्द्र सिंह पंवार निवासी 27/51, नीलकंठ महादेव के मंदिर के पास, टिपटा, श्रीपुरा, कोटा (राज0) **(जमानती)**

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री सन्दीप जैन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 14 .10 .2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एल.आई.सी. हाउसिंग फाईनेन्स लि. पंजीकृत कार्यालय सी–98, उपसना टॉवर, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, एरिया ऑफिस दुकान नं0 108–109, द्वितीय मंजिल, श्रीराम कॉम्पलेक्स, गुमानपुरा कोटा (राज0) से अप्रार्थीगण ने दिनांक 14.09.2016 को 5,60,000/– (अक्षरेः रूपये पांच लाख साठ हजार मात्र) दिनांक 19.09.2014 को 3,50,000/–(अक्षरेः रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र), दिनांक 18.09.2014 को 6,50,000/– (अक्षरेः रूपये छह लाख पचास हजार मात्र) दिनांक 23.12.2015 को 5,00,000/– (अक्षरेः रूपये पांच लाख हजार मात्र) व दिनांक 27.03.2018 को 7,98,000/– (अक्षरेः रूपये सात लाख अठयानवे हजार मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति मकान नं0 बी–31, (पूर्वी भाग) प्रगति नगर, देवली अरब, कोटा–राज0 जिसकी चर्तुः सीमाएं पूर्व में– रास्ता, पश्चिम में –भूखण्ड संख्या बी–31 का पश्चिमी भाग, उत्तर में– रास्ता, दक्षिण में–भूखण्ड संख्या बी–30, जिसका माप 77.77 वर्गगज, जिसका भू आवंटन पत्र नगर विकास न्यास द्वारा शीलेष सक्सेना पत्नि श्री कैलाश नारायण सक्सेना के नाम से जारी किया गया है,** को प्रार्थी ने वित्तिय सस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 23.07.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते में 5,71,826/– 24 पैसे, 3,41,556/– रूपये 35 पैसे, 6,22,816/– रूपये 60 पैसे, 4,97,939/– रूपये 19 पैसे, 8,36,501/– रूपये 96 पैसे कुल 28,70,640/– 34 पैसे (अक्षरेः रूपये अठ्ठाईस लाख, सत्तर हजार, छः सौ चालिस एवं चौंतीस पैसे मात्र) रूपये दिनांक 23.11.2019 तक व

2 — 14/10

दिनांक 24.11.2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तिय सस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 23.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस का दिनांक 27.08.2019 को हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत एवं अंग्रेजी समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तिय सस्था को नही संभलाया है । अतः प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 23.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस का दिनांक 27.08.2019 को हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत एवं अंग्रेजी समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 23.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस का दिनांक 27.08.2019 को हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत एवं अंग्रेजी समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **बंधक अचल सम्पत्ति मकान नं0 बी–31, (पूर्वी भाग) प्रगति नगर, देवली अरब, कोटा–राज0 जिसकी चर्तुः सीमाएं पूर्व में– रास्ता, पश्चिम में –भूखण्ड संख्या बी–31 का पश्चिमी भाग, उत्तर में– रास्ता, दक्षिण में–भूखण्ड संख्या बी–30, जिसका माप 77. 77 वर्गगज, जिसका भू आवंटन पत्र नगर विकास न्यास द्वारा शीलेष सक्सेना पत्नि श्री कैलाश नारायण सक्सेना के नाम से जारी किया गया है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तिय सस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14 .10. 2020 को सुनाया गया ।

14/10/20

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा